झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा 2012 के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 62/2011

एतद् द्वारा मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, 2012 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र–छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि सादा पंजीयन आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका से दिनांक 03.08.2011 से 04.08.2011 तक प्राप्त कर लें। निम्न कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए पंजीयन आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में प्राप्त किए जायेंगे :–

1) बिना विलम्ब शुल्क के विद्यालय में जमा करने की तिथि– 01,09,2011 से 03,09,2011 तक
2) बिना विलम्ब शुल्क के परिषद् में जमा करने की तिथि– 09,09,2011 से 10,09,2011 तक
3) विलम्ब शुल्क के साथ विद्यालय में जमा करने की तिथि– 14,09,2011 से 15,09,2011 तक
4) विलम्ब शुल्क के साथ परिषद् में जमा करने की तिथि– 20,09,2011 से 21,09,2011 तक

शुल्क की राशि

1.	पंजीयन आवेदन पत्र	–	₹ 50/– प्रति छात्र /छात्रा
2.	पंजीयन शुल्क (नियमित)	–	₹ 75/– प्रति छात्र /छात्रा
3.	पंजीयन शुल्क (स्वतंत्र)	–	₹ 400/– प्रति छात्र /छात्रा
4.	अनुमति शुल्क (स्वतंत्र)	–	₹ 400/– प्रति छात्र /छात्रा
5.	पंजीयन विलम्ब शुल्क	–	₹ 200/–प्रति छात्र /छात्रा (एकमुश्त 10 दिनों के लिए)

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची"** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका"** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा।

1) पंजीयन आवेदन पत्र नि:शुल्क दिया जाएगा, परन्तु पंजीयन आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क भरे हुए पंजीयन आवेदन के साथ जमा करना होगा।
2) स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3) निधारित तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4) दिनांक 31–03–1998 के बाद जन्म तिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
5) मध्यमा परीक्षा, 2012 के लिए वर्ष 2009 के पंजीयन की मान्यता दी जाएगी। 2009 के पूर्व के परीक्षार्थियों को पुन: पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। अगर वर्ष 2009 के पूर्व के पंजीयन के आधार पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाएगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।
6) राजकीय/अनुदानित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
7) वैसे प्रस्तावित संस्कृत उच्च विद्यालयों, जिन्हें अस्थायी/स्थायी स्थापना अनुमति हेतु परिषद् द्वारा विभाग को अनुशंसा भेज दी गई है, विज्ञप्ति सं. 65/2007 का अनुपालन करेंगे, साथ ही वैसे विद्यालय के छात्रों को स्वतंत्र छात्र के रूप में पंजीयन शुल्क देय होगा।
8) मध्यमा (संस्कृत) 2011–2012 की परीक्षा सरकार द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मध्यमा/9737/11/SECY/324/11
Dt. 25.06.11
D.O.P : 26.06.2011